आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 33/2023–24

राज्य सरकार

–बनाम–

संजय यादव

–: आदेश :–

01.12.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 2657/अप0शा0, दिनांक 25.07.2023 से मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 32/23, दिनांक 12.04.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining) Transportation and Storage Rule 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक रजि0 नं0– BR11S-6168 एवं उसपर लोड पत्थर (चिप्स) सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में यह है कि कांड के वादी नरेश कुमार मुंडा अंचल अधिकारी, मंडरो, द्वारा दिनांक– 09.04.2023 को समय करीब 11:45 बजे अपराह्न में भगैया चेकनाका पर थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी थाना एवं पुलिस बल के साथ संयुक्त छापामारी किया। छापामारी के क्रम में स्टोन चिप्स लदे बिना माईनिंग चालान के परिवहन कर रहे ट्रक के चालक, पुलिस प्रशासन को देखते ही अपना ट्रक छोड़ कर भाग गये। वादी तथा थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी द्वारा ट्रक चालक को खोजबीन किया तथा चिल्ला–चिल्लाकर माईनिंग चालान की मांग किये लेकिन चालक सामने नहीं आया। इससे स्पष्ट हुआ कि बिना माईनिंग चालान के ट्रक द्वारा परिहवन कार्य किया जा रहा था। उक्त ट्रक जिसका रजि0 नं0– BR11S-6168 एवं उसपर लोड पत्थर (चिप्स) सहित पकड़ा गया। स0अ0नि0 सेलाय सुन्डी, मिर्जाचौकी थाना द्वारा घटना स्थल पर मौजूद साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए उपरोक्त लोड पत्थर चिप्स को जप्त किया गया तथा थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया, जिसके आधार पर कांड अंकित किया गया।

विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी लगातार तिथियों में अनुपस्थित है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज की रिर्पोट के आधार पर संबंधित वाहन को अवैध खनन के परिवहन में सलिप्त मानते हुए, JMMC Rule के तहत् वाहन को खनिज सहित राजसात किया जाता है।

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2
	अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 32/23, दिनांक 12.04.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining) Transportation and Storage Rule 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक रजि0 नं0– BR11S-6168 एवं उसपर लोड पत्थर (चिप्स) सहित को अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त रहने के कारण राजसात करना उचित प्रतीत होता है। Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles" 1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के

कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.

2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

अतः मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 32/23, दिनांक 12.04.2023, धारा–175/379/414 भा0द0वि0 एवं 04/54 Jharkhand Mines and Mineral Act, 2004 & 7/9 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining) Transportation and Storage Rule 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक रजि0 नं0–BR11S-6168 एवं उसपर लोड पत्थर (चिप्स) सहित को **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी के उपस्थिति में उक्त वाहनों को एवं उसपर लोड पत्थर (चिप्स) सहित नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी को भेजें। पारित आदेश से विपक्षी को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 13:51:47 +05:30
Location: 192.168.29.165